



## राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-डुंगरपुर

माही सरोवर विस्तार / शास्त्री नगर बांसवाड़ा एवं परतापुर आवासीय योजना में किराया कय पद्धति/नगद भुगतान पद्धति पर आवासों का आवंटन "पहले आओ पहले पाओ" का स्वर्णिम अवसर

योजना के आवेदन फार्म बिक्री हेतु तिथि 15.01.2016 से 15.03.2016 तक या मकानों के निस्तारित हो जाने पर स्वतः ही समाप्त हो जायेगी। (कार्य दिवस/ समय में)

आयवर्ग	प्लॉट का माप (वर्ग मीटर में)	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	निर्मित क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	उपलब्ध आवास	आवास की लागत	प्रार्थना पत्र के साथ जमा राशि	सेवाकर	प्रोसेसिंग फीस
<b>शास्त्री नगर योजना, बांसवाड़ा</b>								
EWS	4.00x09.00	36.00	15.18	5	387000/-	12000/-	435/-	500/-
LIG	6.00x12.00	72.00	27.535	01	740700/-	25000/-	906/-	700/-
LIG	6.00x12.00	72.00	29.730	01	855400/-	25000/-	906/-	700/-
MIG-A	8.00x15.00	120.00	64.85	04	1587600/-	90000/-	3263/-	1000/-
MIG-B	9.00x18.00	162.00	121.64	02	2733600/-	150000/-	5438/-	1500/-
MIG-E	9.00x18.00	162.00	85.245	01	2426200/-	150000/-	7975/-	1500/-
<b>आवास संख्या</b>								
EWS	1-E-10, 1-F-25, 3-D-28, 3-D-29, 3-K-06 = 05 HOUSES							
LIG	3-G-03 = 1 HOUSE							
LIG	3-C-09 = 1 HOUSE							
MIG-A	3-I-02, 3-I-03, 3-J-01, 3-J-03 = 4 HOUSES							
MIG-B	4-A-26, 4-A-27 = 02 HOUSES							
MIG-B	2-E-02 = 1 HOUSE							
<b>माही सरोवर योजना, बांसवाड़ा</b>								
EWS	4.00x09.00	36.00	16.25	3	281700/-	12000/-	435/-	500/-
MIG-B	9.00x19.50	175.50	90.12	1	2320800/-	150000/-	5438/-	1500/-
<b>आवास संख्या</b>								
EWS	2/141, 2/143, 2/147 = 3 Houses							
MIG-B	4-D-08 = 01 Houses							
<b>परतापुर आवासीय योजना</b>								
EWS	4.00x09.00	36.00	15.18	06	559700/-	12000/-	435/-	500/-
MIG-B	9.00x18.00	162.00	74.96	08	2098400/-	150000/-	5438/-	1500/-
HIG	12.00x21.00	252.00	112.410	03	3663900/-	220000/-	7975/-	2000/-
<b>आवास संख्या</b>								
EWS	3/39, 3/40, 3/41, 3/57, 3/60, 4/258 = 06 houses							
MIG-B	1/60, 1/61, 1/63, 5/13, 5/18, 5/22, 5/23, 6/13 = 08 houses							
HIG	5/3, 5/5, 5/6 = 03 Houses							

1.लागत के अतिरिक्त लीज राशि,विविध खर्च, कॉर्नर चार्ज एवं अतिरिक्त भूमि की राशि समय समय पर केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा देय सर्विस टैक्स बोर्ड नियमानुसार देय है। 2. आवासों का आवंटन प्रस्तुत आवेदन फार्म में अंकित विकल्प के क्रम में किया जावेगा। 3. आवासों का आवंटन "जहाँ है जैसा है" की स्थिति पर किये जावेंगे तथा इस विषय में कोई आक्षेप स्वीकार नहीं किया जावेगा। 4. इस योजना में पूर्व पंजीकृत एवं अपंजीकृत आवेदकों के आवंटन स्वीकार किये जावेंगे। 5. योजना के पूर्व आवेदकों को आवंटन में प्रथम वरीयता दी जावेगी। 6. आवास के आवंटन हेतु आवेदन फार्म मूल आवेदक स्वयं के उपस्थित होने पर ही स्वीकार किये जावेंगे। 7. योजना में प्रस्तावित किसी भी आवास को लेकर विवाद उत्पन्न होता है उक्त आवास के संबंध में निर्णय करने के लिए मण्डल स्वतंत्र होगा। 8. योजना के नियम, शर्तें एवं अन्य विवरण का उल्लेख आवेदन फार्म में वर्णित है। 9. आवेदकों को पहचान स्वरूप पहचान पत्र, पासपोर्ट, आधार कार्ड, फोटो युक्त राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि में से एक की छाया प्रति एवं पते का प्रमाण स्वरूप बिजली, पानी, टेलीफोन बिल में से एक की सत्यापित छाया प्रति आवेदन पत्र के साथ सलग्न करनी होगी। 10. पूर्व पंजीकृत आवेदकों का पंजीकरण निरस्त नहीं होना चाहिये एवं पुनर्जीवित से संबंधित साक्ष्य एवं पूर्व पंजीकरण के अन्तर्गत जमा राशि रिफण्ड नहीं होने तथा पंजीकरण के अन्तर्गत कोई अन्य आवास आवंटित नहीं होने का 10/- रुपये के न्यायिक स्टाम्प पेपर पर नोटरी से सम्यापित शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होना 11. खुली बिक्री योजना के आवेदन पत्र 100/- का किराया कय/नकद भुगतान जमा कर दिनांक 15.01.2016 से कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते हैं।

### सम्पर्क सूत्र

परियोजना अभियन्ता (व.)  
उपखण्ड-परतापुर  
दूरभाष मो नं. 9413018603

आवासीय अभियन्ता  
खण्ड डुंगरपुर  
सदर थाने के पास, डुंगरपुर  
दूरभाष नं. 02964-232288

*[Handwritten Signature]*